

दि	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
<p>उपरोक्त पक्ष 28/10/67 के नदी उडा जवाबदारी ब उगत काश्त के मज से हिसा शमे ही तवत मसि के तुममी कर ईने। काखिव शागील मेव गी म मे (वीएन कि हग गी। उमि रादीका गी को क उडा</p>	<p>अन्न में विवेक किया कि उक्त आशुकी का समयानुसार कानून बटवारा किया जाने शक्य किनाई को अगले दशमद किए जाने के आला प्रदान करे। यथावती रजि स्ट्रिक्टर किया जाकर उक्त पक्षों को सुना गया। वहील उतिवादी ने दिनांक 12/8/2015 को जनाब दावा मग का उरद मले म प्रेश किया। किने वहील उतिवादी ने अपने बराब दाने में कमी का बटवारा किया जाता है तो उके इतल नही है। दिनांक 3-6-2014 को बटवारा रिपोर्ट मंगाने के तत्कालीनदार शाकपुश को लिखा गया। तत्कालीनदार शाकपुश ने दिनांक 22-11-15 को बटवारा रिपोर्ट हापु रुदि। मिल कर जाप्रा अलिबबला ने दिनांक 1-11-15 को आपति बटवारा रिपोर्ट प्रेश की रुदि। दिनांक 26-11-15 को बटवारा रिपोर्ट पर बरस सुनकर बटवारा रिपोर्ट पुनः मंगाने जाने के आदेश दिए गये। तत्कालीनदार शाकपुश ने दिनांक 28/6/16 को बटवारा रिपोर्ट मग करेवात हापु रुद। बटवारा रिपोर्ट पर वहील उगत पक्षों को आपति नही है। अतः दावा कटवारा रिपोर्ट के अनुसार अलिम टिकी किया जाता है। आबन 1248, 1249 के बटवारे गाम साखिउ 0.61, 0.67 वरु-शाकपुश जमपुर के सक्ष एगरेडम के मजम लिख बटवारा किया जाता है।</p>	<p>व 8 साखिउ नदी 108, दमपु दमपु उतिवादी मग 53, 188 18-10-2017 आबन शाकपुश उके दम मंगाने। 1248/1249 शाकपुश उके बटवारा मंगाने के दमपु मंगाने। मंगाने।</p>

उपरोक्त पक्ष
 28/10/67 के
 नदी उडा
 जवाबदारी
 ब उगत
 काश्त
 के मज
 से हिसा
 शमे ही
 तवत मसि
 के तुममी
 कर ईने।
 काखिव
 शागील
 मेव गी
 म मे
 (वीएन
 कि हग
 गी। उमि
 रादीका
 गी को
 क उडा

सप खण्ड अधिकारी
 शाहपुरा, जिला-जयपुर (रा...)

फर्द अहकाम

राजेश्वर

बनाम भोरोमेक्स बगे-

नाम न्यायालय 520 शाहपुर

केस संख्या 29/14 शाखा 53/88 R.N. G

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	<p>18.10.17</p>	<p>इसे दृष्टिगत कर विद्वान काश्तकार को प्रोहित किया जावे।</p> <p>(1) बाही स. 1 के बटवारे में छा. ख. न. 1249/2 रकबा 0-51 हे. हिंसा रहेगा।</p> <p>(2) शहवाही स. 1 के बटवारे में छा. ख. न. 1248/0-61 हे. व 1249/1 रकबा 0-1 हे. कुल कित्ता 2 रकबा 0-77 हे. बटवारे रहेगा।</p> <p>शिर्षी बटवारा व नकशा इस निर्णय का लूज रहेगा। तदनुसार राजस्व रिमांड में अमल शरामद किया जावे। पदाभारण को स्वामी लिये चाला से पाबन्द किया जावे। कि ये बटवारा अनुसार एज डूल्ड के कहे काश्त में कला प्रकार की मुलाहमत में ही करे। पर्या डि की जावे।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p>मतावली में सब शर्तों को कारखाने व कमील शखिल दफ्तर रहे।</p> <p>(रवि विजय) उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला-जेयपुर (राज.)</p>	<p>विशेष</p>